भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न** संख्या-63

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

**उच्चतर शिक्षा में झारखंड के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियाँ**

**63. श्री दुलू महतोः**
**श्री बिद्युत बरन महतोः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य विशेषकर धनबाद में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं तथा छात्रों को उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;
(ख) क्या झारखंड राज्य के धनबाद जिले के छात्रों के पास उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं हैं;
(ग) कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है तथा इसके मार्ग में क्या चुनौतियां आ रही हैं;
(घ) आम छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा तक पहुंच किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है तथा इस संबंध में किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना है; और
(ङ) उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं तथा छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) और (ख): झारखंड राज्य में छह केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थान (एचईआई) जैसे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – आईएसएम, धनबाद; भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) रांची; राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची हैं।

धनबाद जिले में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) के तत्वावधान में प्रबंधित सुस्थापित उच्चतर शैक्षिक अवसंरचना है, जो प्रबंधन, शिक्षा, जनसंचार, कला और संस्कृति, कानून, विदेशी भाषा, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान और आपदा प्रबंधन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों सहित 27 पीजी विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। अवर स्नातक स्तर पर, धनबाद जिले में 09 घटक कॉलेज और 11 संबद्ध कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त, 13 बी.एड. कॉलेज, 01 मेडिकल कॉलेज और 01 विधि महाविद्यालय हैं जो क्षेत्र के छात्रों को विशेष व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सामूहिक रूप से, विश्वविद्यालय में कुल 89,889 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 43,054 छात्राएँ हैं, जो उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। जबकि मौजूदा संसाधन और सुविधाएँ यथोचित रूप से विकसित हैं, वे क्षेत्र में छात्रों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए निरंतर सुधार कर रहे हैं।

(ग) से (ङ): एनईपी 2020 की घोषणा के पश्चात उच्चतर शिक्षा में कई रूपांतरकारी बदलाव हुए हैं। उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार जैसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता कार्यढांचा (एनएचईक्यूएफ) जैसे दिशानिर्देश / विनियमनों के साथ अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में रूपांतरित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का चलाना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों का पता करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयं मंच का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित मौजूदा जनशक्ति के कौशल संवर्धन और कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल निर्मित करने के लक्ष्य के साथ नए स्वयम प्लस पोर्टल की शुरुआत; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रवेश की अनुमति देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि किए गए हैं।

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहल किए गए हैं जैसे:

(i) और अधिक उच्चतर शैक्षिक संस्थान खोलना – एआईएसएचई के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 से बढ़कर वर्ष

2021-22 में 1168 हो गई है। इसी तरह, एआईएसएचई के तहत पंजीकृत कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014-15 में 38498 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 45473 हो गई है।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों तथा वंचित क्षेत्रों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देना।

(iv) उच्चतर शैक्षिक प्रणाली में अधिक आवश्यक लचीलापन और उचित निकास तथा पुनः प्रवेश विकल्प उपलब्ध कराना, ताकि विद्यार्थियों को अपने अधिगम की दिशा चुनने में सुविधा हो।

(v) यंग ऐस्पायरिंग माइंड्स के लिए सक्रिय शिक्षण हेतु स्टडी वेब्स (स्वयं) मंच के माध्यम से सभी प्रशिक्षार्थियों को किसी भी समय, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, जो विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

(vi) छात्रों की सुविधा के लिए जेईई, नीट (यूजी) और साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) परीक्षाओं को 13 भाषाओं में आयोजित करना और छात्रों, विशेष रूप से स्थानीय/ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना।

(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण; अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. के लिए आरक्षण; जेईई परीक्षा में बैठने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के लिए तैयारी कक्षाएं; स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाने वाली जेईई परीक्षा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में पूर्ण पहुँच, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए एनईपी 2020 का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****